न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–129/2012–13

राज्य बनाम चन्देश्वरी राम

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी चन्देश्वरी राम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1386, दिनांक 15.09.2012 द्वारा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने सम्बन्धी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

30.8.18

अपीलार्थी का कहना है कि कहरा प्रखंड अन्तर्गत सिरादेई पंचायत में वे वर्ष, 2001 से डीलर के रूप में कार्यरत हैं तथा आवंटित सामग्रियों का उठाव कर समय पर उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मात्रा में नियत कीमत पर वितरण करते चले आ रहे हैं। उनके विरूद्ध कभी किसी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी। निर्वाचित मुखिया जिनको अपीलार्थी ने समर्थन नहीं किया था पंचायत चुनाव के बाद उनके पति के भाई एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा अपीलार्थी से अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था और इस सम्बन्ध में कई मुकदमें भी लम्बित है के द्वारा अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया। मुखिया के लोगों से साँठ–गाँठ कर अपीलार्थी के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। दिनांक 01.09.2012 के जाँच प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1320, दिनांक 06.09.2012 द्वारा अपीलार्थी से कारण पृच्छा की माँग की गयी। आदेश के अनुपालन में पाँचों आरोपों पर बी०पी०एल० वितरण पंजी, भंडार पंजी, अन्त्योदय भंडार पंजी, किरासन तेल वितरण एवं भंडार पंजी, अन्नपूर्णा वितरण पंजी एवं कूपन के साथ कारण पृच्छा समर्पित किया गया। परन्तु इस पर सम्यक विचार किये बिना कारण पृच्छा को असंतोषप्रद बतलाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है।

अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

इन कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1386/गो0, दिनांक 15.09.2012 में स्पष्ट किया गया है कि जाँच में लाभुकों ने अपने बयान में बताया है कि अगस्त, 2012 का किरासन तेल 19.00 रूपये प्रति लीटर की दर से 2–1 लीटर करके उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया। जनवरी, 2012 से मार्च, 2012 तक अनाज नहीं दिया गया, जबकि मार्च, 2012 का 45 क्विंटल गेहूँ, 67.50 क्विंटल चावल एवं 61 क्विंटल 16 किलो ग्राम गेहूँ, एवं 9 क्विंटल 24 किलो ग्राम चावल विक्रेता श्री राम के द्वारा उठाव किया गया है। भंडार का सत्यापन में ताला खोलवाकर देखने पर अनाज का स्टॉक शून्य पाया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी श्री राम के विरूद्ध सहरसा थाना में प्राथमिकी संख्या–653/2012, दिनांक 12.11.2012 भी दर्ज करायी गयी है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के द्वारा विधिवत कारणपृच्छा कर आदेश पारित किया गया है। अपील अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

30.8.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

30.8.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1401-2 / विधि,   सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.09.017